

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक - ई-33/ले.टे./ (एफ-1163)/2018/

दिनांक :

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-33/ले.टे./2018/144 दिनांक 20.02.2018 के द्वारा श्री ओमप्रकाश, लैब टेक्नीशियन का आदेश के क्रम संख्या 1 पर अंकित दिनांक 25.12.2010 से 25.08.2011 तक 243 दिवस असाधारण अवकाश स्वीकृत किया गया था. के स्थान पर दिनांक 24.12.2010 से 25.08.2011 तक 245 दिवस का असाधारण अवकाश पढा जावें।

डॉ.

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक - ई-33/ले.टे./ (एफ-1163)/2018/483

दिनांक : 05/08/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन, जोधपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
3. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फलोदी, (जोधपुर)।
4. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खारा(जोधपुर)।
- ✓ 5. प्रभारी, सर्वर रूम, क.नं. 302, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
6. श्री ओमप्रकाश, लैब टेक्नीशियन को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर